

परिपत्रविषय: सत्र 2021-22 के लिए टर्म-1 परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र में परिवर्तन

यह उपर्युक्त विषय पर परिपत्र दिनांक 08.11.2021 के क्रम में है।

उपर्युक्त परिपत्र के संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है:

**छात्रों के लिए**

1. टर्म- I पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल घटक के लिए यह माना जाता है कि छात्र थ्योरी परीक्षा के लिए उनके द्वारा चुने गए शहर / केंद्र से उपस्थित होंगे।
2. यदि इन छात्रों के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन आदि आयोजित किया गया है, तो उन्हें नए/ परिवर्तित केंद्र से ऐसी प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
3. छात्र नए/परिवर्तित केंद्र को नए/ परिवर्तित केंद्र द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे कि उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन उनके स्कूल द्वारा आयोजित किया गया है या नहीं।
4. छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा आदि के संचालन के लिए नए/ परिवर्तित केंद्र द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और तिथि पत्र का पालन करेंगे।

**विद्यालय के लिए**

5. स्कूल उनके विद्यालय के सभी छात्रों को और नए/ परिवर्तित केंद्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन के संचालन और अंक अपलोड करने की स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
6. विद्यालय नए/परिवर्तित केंद्र को विद्यार्थियों द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन आदि में प्राप्त अंकों को भेजने की सूचना देगा।
7. स्कूल नए/ परिवर्तित केंद्र से प्राप्त अंकों को सीबीएसई पोर्टल पर अन्य छात्रों के अंकों के साथ समय सारिणी के भीतर अपलोड करेगा।
8. यह छात्र के स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वह छात्र और नए / परिवर्तित केंद्र के साथ संपर्क रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन संचालित किया गया है और अंक प्राप्त किए गए हैं और अन्य छात्रों के साथ निश्चित समय में अपलोड किए गए हैं।

**नए/बदले गए केंद्र के लिए**

9. नया/परिवर्तित केंद्र छात्र के स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन के संचालन/ संचालन न होने की स्थिति के बारे में सुनिश्चित करेगा और उसके बाद ही परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे बढ़ेगा।
10. नया/ परिवर्तित केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन समय पर आयोजित किया गया है और अंक छात्र के स्कूल को समय पर सूचित किए गए हैं। संचार के आधिकारिक चैनल/ईमेल का उपयोग केवल अंक संप्रेषित करने और अवार्ड सूची भेजने के लिए किया जा सकता है। एक प्रति मूल अवार्ड सूची भी स्कूल को अग्रेषित की जाएगी। स्कूल को भेजी गई अवार्ड सूची की एक सत्यापित प्रति और एक अन्य मूल स्याही हस्ताक्षरित प्रति रिकॉर्ड के लिए नए / परिवर्तित केंद्र द्वारा रखी जाएगी।
11. नए/परिवर्तित केंद्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह छात्र और स्कूल के साथ संपर्क रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन आयोजित किया गया है और अंक समय पर स्कूल को भेजे गए हैं।

**क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए**

12. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रों के परिवर्तन के बारे में सभी स्कूलों और नए/परिवर्तित केंद्रों को सूचित करेगा।
13. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र परिवर्तन मामलों के सभी मामलों का विस्तृत डेटाबेस उचित प्रारूप में रखा गया है।
14. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन आदि केवल एक बार आयोजित किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के साथ-साथ नए/परिवर्तित केंद्र के साथ निरंतर संपर्क बनाया जाएगा।
15. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रैक्टिकल परीक्षा/आंतरिक आकलन आयोजित किया गया है, अंक प्राप्त किए गए हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए हैं।

सभी इसे सख्त और समय पर अनुपालन के लिए नोट करें।

हस्ताक्षरित

(डॉ. संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक

प्रति

1. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
2. वेब एडमिन को - सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ